



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम—“मिनी रत्न”—कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: श्रीगंगानगर, राजस्थान-335702
सी.आई.एन. यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking “Mini Ratna” Company)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sriganganagar, Rajasthan-335702
CIN: U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

दूरभाष/Phone : 01498-261202,

ईमेल/ E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक: के.रा.फा./जैत./ उद्यान /13-04/2025-26/

दिनांक: 20.06.2025

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला अनूपगढ़ (राजस्थान) में स्थित उद्यान/EPO में लगी पौधशाला वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रजातियों के कुल 91600 पौधों को उद्यानकी नर्सरी में तैयार के कार्य हेतु निर्धारित नियम व शर्तानुसार ठेके पर तैयार करवाने हेतु ऑफलाइन माध्यम से निविदा दिनांक:02-07-2025 को दोपहर 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन दोपहर 03.30 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 21.06.2025 से 02.07.2025 दोपहर 02:15 तक किया जाएगा। निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 20,000/- (रु बीस हजार मात्र) फार्म के बैंक खाते में ऑनलाईन जमा करवाकर अथवा बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251 खाता संख्या: 4153 2435 884) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 236 (200 Tander fee +18 % GST) का डिमान्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक खाते में जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक की कॉपी की फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम—“मिनी रत्न”—कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: श्रीगंगानगर, राजस्थान-335702
सी.आई.एन. यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking “Mini Ratna” Company)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sriganganagar, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष/Phone :01498-261202,
वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक: के.रा.फा./जैत./ उद्यान / 13-04 / 2025-26 /

दिनांक: 20.06.2025

निविदा प्रपत्र

नर्सरी में तैयार किये जाने वाले पौधों का विवरण (Description of plants propagated in nursery):-

क्र.सं.(S NO)	पौधे का नाम (Name of plant)	किस्म (VARIETY)	तैयार किये जाने वाले पौधे की संख्या (Number of plants to be produced)	कार्य का विवरण (Description of work)	दर प्रति पौधा (Rate per plant)
A. प्रवर्धन का प्रकार (Mode of Propagation):- बडिंग/ग्राफ्टिंग (BUDDING/GRAFTING)				फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलिथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलिथीन बैग तैयार करना तैयार किये गये पोलिथीन बैग में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध सम्बन्धित पौधों से बीज/कटिंग एकत्रित कर बीजों को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए बीज/कटिंग को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा अथवा बडिंग करने योग्य पौधा तैयार होने पर फार्म क्षेत्र में उपलब्ध उक्त किस्म के मातृकि पौधों से बड लेना एवं उक्त तैयार मूलवृन्त पर बडिंग करना, डिसबडिंग करना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना । दर प्रति पौधा । (Preparing polythene bags by filling soil, manure, chemical mixture etc. in the polythene bag provided by the farm/Preparing the bed by mixing manure, chemical mixture etc. in the soil and collecting seed/cuttings from mother plants available in the farm area and planting the seed/cuttings in the prepared polythene bag/bed and Planting the seed/cuttings provided by the farm, doing weeding as per requirement, applying water for irrigation, preparing and When a plant of 9 inches to 1 feet height or a plant capable of budding is ready take buds from the mother plants of the above variety available in the farm area and do budding on the said prepared rootstock, do disbudding, do weeding as per requirement, apply water for irrigation, prepare and give the sapling of 9 inches to 1 feet height. Rate per plant.)	
a. फलदार पौधे (Fruit plants)					
1	MENDARIN	Kinnow	2500		
2	Sweet Orange	Mausambi	2500		
3	Lime	Kagzi Budded	2000		
4	Anola	Chakaiya/Banarsi	2000		
5	Beal	CISHB-1/NB-5 &9	1500		
कूल(Total) a			10500		
b. सजावटी पौधे (Ornamental plants)					
1	Rose	Budded	500		
कूल (Total) b			500		
कूल (Total) A (a+b)			11000		

B. प्रवर्धन का प्रकार (Mode of Propagation):- बीज/कटिंग(SEED/CUTTING)			
a. फलदार पौधे (Fruit plants)			
1	Pomegranate	Ganesh	1000
2	Pomegranate	Mridula	1000
3	Karonda	Farm Selection	10000
4	Mulberry	Farm Selection	2000
5	jatti khatti	seeds	10000
6	Anola	seeds	3000
7	Beal	seeds	8000
8	others		2000
कुल(Total) a			37000
b. सजावटी पौधे (Ornamental plants)			
1	Rose	Desi	2000
2	BOUGONVILLA	local	3000
3	Hibiscus	Local	2000
4	Kaner	Yellow/Pink	1000
5	AMALTAS	Farm Selection	500
6	Others	Local	2000
7	Chandni	local	500
8	MEHNDI	Local	1000
9	LAGER STROMIA	Local	500
10	Champa	white/red	100
कुल (Total) b			12600
c. वानिकी पौधे (Forestry/Avainue plants)			
1	POPLAR	Local	8000
2	MELIA DUBIA	local	1000
3	Neem	Local	10000
4	SHISHAM	Local	2000
5	Sagargatta	local	2000
6	others		2000
कुल (Total) c			25000
कुल (Total) B (a+b+c)			74600

फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गये पोलिथीन बैग में मिट्टी खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि भरकर पोलिथीन बैग तैयार करना/खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना एवं उक्त तैयार पोलिथीन बैग में/क्यारी में फार्म क्षेत्र में उपलब्ध पौधों के मातृकि पौधों से बीज/कटिंग एकत्रित कर बीज/कटिंग को लगाना/फार्म द्वारा उपलब्ध करवाए गए बीज/कटिंग को लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना, 9 इंच से 1 फीट की ऊंचाई तक का पौधा तैयार करके देना । दर प्रति पौधा । (Preparing polythene bags by filling soil, manure, chemical mixture etc. in the polythene bag provided by the farm/Preparing the bed by mixing manure, chemical mixture etc. in the soil and collecting seed/cuttings from mother plants available in the farm area and planting the seed/cuttings in the prepared polythene bag/bed and Planting the seed/cuttings provided by the farm, doing weeding as per requirement, applying water for irrigation, preparing and giving saplings ranging from 9 inches to 1 feet in height)

C. प्रवर्धन का प्रकार (Mode of Propagation):- सकर्स(Suckers)					
a. फलदार पौधे (Fruit plants)					
1	DatePalm	Samran	1000	खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना फार्म क्षेत्र में उपलब्ध सम्बंधित किस्म के पौधों से सकर्स अलग करना एवं उक्त तैयार क्यारी में लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना एवं एक साल तक पौधों की देखभाल करने के उपरांत जीवित पौधों की दर प्रति पौधा । (Preparing the bed by mixing manure, chemical mixture etc. in the soil, separating suckers from the respective varieties of plants available in the farm area and after planting in the prepared bed, weeding as per requirement, applying water for irrigation and taking care of the plants for one year, the rate of live plants per plant.)	
2	DatePalm	khudrawy	1000		
3	DatePalm	zaddi	1000		
4	DatePalm	halawy	1000		
5	DatePalm	medijool	1000		
6	DatePalm	male	1000		
				खाद, रसायन मिश्रण इत्यादि को मिट्टी में मिलाकर क्यारी तैयार करना फार्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये सम्बंधित किस्म के पौधों के सकर्स को उक्त तैयार क्यारी में लगाना, आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करना, सिंचाई के लिए पानी लगाना एवं एक साल तक पौधों की देखभाल करने के उपरांत जीवित पौधों की दर प्रति पौधा । (Preparing the bed by mixing fertilizer, chemical mixture etc. in the soil Planting the suckers of the respective variety of plants provided by the farm in the prepared bed, doing weeding as per requirement, applying water for irrigation and after taking care of the plants for one year, the rate of live plants per plant.)	
कुल (Total) C (a)			6000		
कुल योग (Grand Total) (A+B+C)			91600		

नोट:- तैयार करने वाले पौधों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है (The number of plants may be increased or decreased) ।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदा दाता.....

नाम व पूरा पता

.....

.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम—“मिनी रत्न”—कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: श्रीगंगानगर, राजस्थान-335702
सी.आई.एन. यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking “Mini Ratna” Company)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sriganganagar, Rajasthan-335702
CIN: U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक: के.रा.फा./जैत./ उद्यान /13-04/2025-26/

दिनांक: 20.06.2025

उद्यानकी नर्सरी में तैयार करने हेतु नियम व शर्तें

- वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रजातियों के कुल 91600 पौधों को उद्यानकी नर्सरी में तैयार करने का कार्य करना होगा।
- विभिन्न प्रजातियों जिनका विवरण एवं प्रवर्धन कार्य का विवरण निविदा प्रपत्र में दिया हुआ के अनुसार कुल 91600 पौधों को फार्म नर्सरी में तैयार करना होगा।
- निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ स्वयं के आधार कार्ड, पेन कार्ड व बैंक खाता की सुचना की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
- प्रस्तावित पौधों को तैयार करने हेतु फार्म द्वारा निर्मित पौधशाला में सिंचाई के लिए आवश्यक पानी (उपलब्धता के आधार पर) की व्यवस्था आदि फार्म द्वारा करायी जायेगी।
- पौधे तैयार करने हेतु आवश्यक साधन सामग्री जैसे पॉलीथिन बैग, पॉलीथिन सीट, खाद, बीज, कीटनाशक आदि फार्म द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।
- तैयार किये जाने वाले सभी पौधों की सफलता दर कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।
- बिक्री योग्य तैयार पौधों की गिनती कम से कम 9 इंच से 12 इंच के आकार पर की जायेगी। जिसमें केवल मुख्य तना को ही माप में लिया जावेगा पत्तियों को माप में नहीं लिया जावेगा। केवल जीवित पौधे, जो कि उद्यान प्रभारी के निर्देशानुसार आगे बढ़वार करने वाले पूर्णतः स्वस्थ हों उन्हीं जीवित पौधों की गिनती की जाएगी।
- आवश्यकतानुसार नर्सरी में किये जाने वाले सभी कार्य जैसे निराई, गुड़ाई (कम से कम आठ बार करेगा) सिंचाई स्प्रे आदि समय-समय पर ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
- किसी प्राकृतिक नुकसान के लिए ठेकेदार खुद जिम्मेवार होगा। फार्म उन्हीं पौधों का भुगतान करेगा, जो अंतिम गिनती के समय भौतिक रूप से नियम व शर्त संख्या 7 के अनुसार उपलब्ध होंगे।
- उक्त पौधे तैयार करने के लिए खेत में पौधे लगाने की अवधि कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से 31/03/2026 तक होगी। पौधे लगाने के उपरांत गिनती करने का कार्य माह दिसम्बर 2025 में अथवा नियम व शर्त सं. 7 के अनुसार बिक्री योग्य पौधों होने पर (कम से कम 9 इंच से 12 इंच के आकार पर) की जायेगी। यद्यपि अवधि बढ़ाने हेतु सामान्य परिस्थितियों में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा। परन्तु ठेकेदार द्वारा कोई विशेष कारण बताया जाने पर फार्म प्रमुख की अनुमति से समयावधि को बढ़ाया जा सकेगा।
- यदि प्राकृतिक प्रकोप से कोई नुकसान होता है तो इसके लिए फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- यदि ठेकेदार की लापरवाही के कारण (समय से पौधों की देखभाल करना, पानी लगाना खाद रसायन समय से देना, निराई-गुड़ाई, बडिंग, डिसबडिंग, आदि अन्य सम्बन्धित कार्य समय पर नहीं करने पर) नर्सरी में लगाये जाने पौधों को नुकसान होता है तो उक्त नुकसान का आंकलन कर, भरपाई निविदादाता के बिलों से/जमा धरोहर राशि से कर ली जाएगी।
- ठेकेदार को निविदा देते समय रु 20,000/- धरोहर राशि फार्म खाते में ऑनलाईन जमाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251 खाता संख्या: 4153 2435 884) पर देय हो, जमा/संलग्न करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने के बाद उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
- कार्य आदेश मिलने के 7 दिन के अन्दर पांच सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

15. तैयार करने वाले पौधों की संख्या घटायी या बढ़ाई जा सकती है जिसके बारे में समय से सूचित कर दिया जायेगा।
16. फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या निरस्त कर सकते हैं।
17. ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म की चल व अचल सभी प्रकार की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को ही करनी होगी।
18. ठेकेदार को उसके द्वारा लगाये जाने वाले पौधों की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
19. यदि ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़कर जाता है तो यह कार्य अन्य किसी से करवा लिया जायेगा। इस कार्य को करवाने में अगर फार्म को कोई हानि होती है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। साथ ही धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी व किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. यदि किसी भी प्रकार का टैक्स लगता है तो वह ठेकेदार वहन करेगा।
21. आर्बिट्रेशन:- यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और निविदादाता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (ARBITRATION- In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

उपरोक्त नियम व शर्तों को मेरे द्वारा सुन लिया है, समझ लिया है व पढ़ लिया गया है जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

दिनांक _____

स्थान _____